न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
–: आदेश :–

16-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–411/2012 में आवेदक **श्री संतोष अग्रवाल,** पिता–श्री मोती लाल अग्रवाल, सा0–सूर्य विहार अपार्टमेंट, हाऊस नं0–102, एक्जीविशन रोड, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना से प्राप्त एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

सुनवाई के क्रम में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे पर्दा, गद्दा आदि की फर्निसिंग का कार्य करते हैं। आयरन एवं स्टील का सप्लायर हैं। उनका 1.5 करोड़ का टर्न ओवर है। उनके सहोदर भाई स्व0 आत्मा राम अग्रवाल के मुत्युपरान्त उनके अनुज्ञप्ति पर धारित शस्त्र एक डी0बी0बी0एल0 गन को कृष्णा एण्ड कम्पनी, आग्नेयास्त्र विक्रेता, ठाकुरबारी रोड, पटना में जमा कर दिया गया, जिसे प्राप्त करने एवं अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के ज्ञापांक–391/गो0, दिनांक–19.03.2013 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा मूल में अग्रसारित कर भेजा गया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, नगर, पटना द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान के माध्यम से अग्रसारित एवं अनुशंसित कर मूल में संलग्न कर भेजी जा रही है। थानाध्यक्ष, गाँधी मैदान के सत्यापन प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक के सहोदर भाई स्व0 आत्मा राम अग्रवाल के मृत्युपरान्त उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–9/ठकराहा पर धारित शस्त्र एक डी0बी0बी0एल0 गन सं0–3289 को कृष्णा एण्ड कम्पनी, आग्नेयास्त्र विक्रेता, ठाकुरबारी रोड, पटना में जमा कर दिया गया, जिसे प्राप्त करने हेतु एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु अनुरोध किया गया। अतः आवेदक के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया।

आवेदक के द्वारा अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर कार्रवाई लंबित रहने के कारण माननीय उच्च न्यायालय, पटना में रिट याचिका सं0–1076/2013 दायर किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा दिनांक–18.01.2013 को आदेश पारित करते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पर दो माह के अन्दर विचार करते हुए अंतिम आदेश पारित करने का निदेश दिया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर

बताये गये तथ्यों एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री संतोष अग्रवाल,** पिता–श्री मोती लाल अग्रवाल, सा0–सूर्य विहार अपार्टमेंट, हाऊस नं0–102, एक्जीविशन रोड, थाना–गाँधी मैदान, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक डी0बी0बी0एल0 गन शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री अग्रवाल को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।